

FORM NL-37-STATEMENT OF DOWN GRADED INVESTMENTS

Name of the Insurer: ECGC LTD.
 Registration Number: 124
 Statement as on: 31 मार्च 2017
 Statement of Down Graded Investments
 Periodicity of Submission: Quarterly

(रु क)

सं	प्रतिभूति का नाम	निवेश की श्रेणी (सी ओ आई)	राशि	खरीद की तारीख	रेटिंग एजेंसी	मूल ग्रेड	वर्तमान ग्रेड	अंतिम डाउन ग्रेड की तारीख
A.	तिमाही के दौरान							
B.	आज की तारीख को							
1	10.10% टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 2018	आई ओ डी एस	15.00	24-Apr-2008	क्रिसिल	AA	AA-	17-Oct-2013
2	9.40% टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 2022	आई ओ डी एस	5.00	9-Apr-2013	क्रिसिल	AA	AA-	17-Oct-2013
3	9.55% हिंडालको लिमिटेड 2022	ओएलडीबी	5.00	30-Apr-2012	क्रिसिल	AA	AA-	31-Jul-2015
4	9.60% हिंडालको लिमिटेड 2022	ओएलडीबी	5.00	5-Sep-2012	इक्रा	AA	AA-	31-Jul-2015
5	9.20% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2017	ओ बी पी टी	5.00	3-Mar-2008	क्रिसिल	AAA	A+	30-Mar-2017
6	9.35% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2018	ओ बी पी टी	5.00	10-Feb-2009	क्रिसिल	AAA	A+	30-Mar-2017
7	9.25% आईपीसीए लैबॉरिटरिज़ लिमिटेड 2017	ओएलडीबी	2.50	20-Dec-2012	क्रिसिल	AA	AA-	28-Jun-2016
8	9.40% वेदांता लिमिटेड	ईपीबीटी	5.00	30-Oct-2012	क्रिसिल	AA+	AA-	27-Jan-2016
9	9.17% स्टारलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 2023	ईपीबीटी	5.00	9-Jul-2013	क्रिसिल	AA+	AA-	27-Jan-2016
10	8.60% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2019	ईपीबीटी	10.00	3-Feb-2010	क्रिसिल	AA+	AA	31-Dec-2016
11	8.75% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2020	ईपीबीटी	15.00	29-Apr-2010	क्रिसिल	AA+	AA	31-Dec-2016
12	8.72% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2020	ईपीबीटी	10.00	30-Apr-2010	क्रिसिल	AA+	AA	31-Dec-2016
13	9.35% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2026	ईपीबीटी	5.00	20-Sep-2011	क्रिसिल	AA+	AA	31-Dec-2016
14	9.30% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2018	ईपीबीटी	5.00	4-Jun-2012	क्रिसिल	AA+	AA	31-Dec-2016
15	9.18% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2017	ईपीबीटी	5.00	4-Sep-2012	क्रिसिल	AA+	AA	31-Dec-2016

दिनांक : जून 13, 2017

www.ecgc.in

नोट

- 1 तिमाही के दौरान डाउन ग्रेड निवेश का विवरण प्रदान करें।
- 2 पिछली तिमाही के दौरान डाउन ग्रेड के रूप में सूचीबद्ध वर्तमान में अपग्रेड किए गए निवेश को संचयी सूची से हटा दिया जाएगा।
- 3 प्रत्येक निधि के संबंध में प्रपत्र तैयार किया जाएगा।
- 4 निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी